रा. [illegible] मु ज. -[illegible]

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा (राज०) मुकाम

कल्याण बनाम सरकार

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र [illegible] नं. [illegible] सन् ____

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/1/25	पत्रावली पेश की गई। प्रार्थी उपस्थित। रिपोर्ट तहसीलदार लालसोट की प्राप्त हो चुकी है। मैंने प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। लिपिक [illegible] पृथक से [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा (राज०)	

न्यायालयः—उपखण्ड़ अधिकारी लालसोट जिला—दौसा (राज0)

प्रकरण संख्या— 25/2020 : दिनांक रजू 13—08—2020

पीठ़ाशीन अधिकारी : श्री नरेन्द्र मीना, आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी, लालसोट

कल्ली देवी पत्नी स्व. जयनारायण उम्र 80 वर्ष, जाति मीना निवासी ग्राम थूणिधिराजपुरा तहसील लालसोट हाल तहसील निर्झरना पुलिस थाना झांपदा जिला—दौसा (राज0)

(प्रार्थीया)

बनाम्

1. राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार लालसोट हाल तहसीलदार निर्झरना जिला—दौसा (राज0)
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) जरिये परियोजना निदेशक एन.एच. 11(ए) रावत होटल के पीछे दौसा।

(अप्रार्थीगण)

उपस्थितः— पं0 रामबाबू शर्मा, एडवोकेट (प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल.आर. एक्ट

निर्णय दिनांक 05—01—24

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0 610 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 612 रकबा 17 बिस्वा ख0नं0 643 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल किता—3 कुल रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम चौण्डियावास तहसील लालसोट हाल तहसील निर्झरना जिलां—दौसा मे स्थित हैं। उक्त भूमि मे से 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क निर्माण के लिए अवाप्त कर ली हैं। जिसकी खातेदारी का इन्द्राज भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम से राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे हो चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

शेष भूमि 3 बीघा की खातेदारी प्रार्थीया के नाम से रेवन्यू रिकार्ड मे दर्ज हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जिस प्रकार से भूमि अवाप्त की गई है वो इस प्रकार से है। ख0नं0 610 मे से 13 बिस्वा भूमि, ख0नं0 612 मे से 6 बिस्वा भूमि, ख0नं0 643 मे से 9 बिस्वा भूमि इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा तीनो नम्बरान मे से कुल 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि अवाप्त कर सड़क निर्माण भी करवा दिया गया हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा जितनी जमीन अवाप्त की गई थीं उस रकबे से अधिक की भूमि को दबाकर करीबन एक, डेढ बीघा जमीन अधिक दबाकर सडक मे घुमाव देकर अवाप्त शुदा रकबे से अधिक जमीन दबाकर निर्माण कर दिया गया हैं। प्रार्थीया वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे 3 बीघा भूमि की खातेदार है। उक्त भूमि मौके पर करीबन डेढ बीघा के आस पास ही बैठती है। जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई हैं। अधिग्रहण रकबे से करीबन डेढ बीघा अधिक भूमि के रकबे को दबाकर सड़क निर्माण करवा लिया। न्यायहित मे प्रार्थीया कानूनन मुश्तहक है कि वह अपनी खातेदारी भूमि का मुताबिक रकबा जमाबंदी सीमाज्ञान करवा कर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थर गढी भी कायम करावें। प्रार्थीया ने उक्त भूमि की पत्थर गढी करवाने हेतू एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् तहसीलदार लालसोट को निवेदन किया था लेकिन उनके द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई तथा अदालत हाजा से सीमाज्ञान, पत्थर गढ़ी के आदेश लाने के लिए कहा गया। इसलिए प्रार्थीया की उक्त आराजी का सीमाज्ञान पत्थर गढ़ी करवाया जाना न्यायार्थ एवं कानूनन आवश्यक हैं। प्रार्थीया को जायज हक अधिकार हांसिल है कि वह न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट पेश कर अपनी कृषि भूमि उक्त वर्णित का सीमांकन प्रशासन एवं पुलिस इमदाद से सीमाज्ञान व पत्थर गढी करवाऐ।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

तत्पश्चात् प्रकरण दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर तलबी अप्रार्थी की गई। जिस पर अप्रार्थी सं01 की तामील असालतन प्राप्त हुई एवम् तामील के साथ रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात् पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तिम बहस पर रखी गई एवम् प्रार्थीया को सुना गया एवं प्रार्थना पत्र धारा 128 पत्थर गढ़ी एवं रिपोर्ट तहसीलदार निर्झरना का भली प्रकार से अवलोकन एवम् मनन किया जिससे प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की खातेदारी भूमि आराजी ख0नं0 610 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 612 रकबा 17 बिस्वा ख0नं0 643 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल किता–3 कुल रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम चौण्डियावास तहसील निर्झरना जिला–दौसा मे स्थित उक्त आराजी मे तहसीलदार निर्झरना को आदेश दिये जाते है कि दो कुशल गिरदावर / पटवारीयान की टीम गठित कर सीमा ज्ञान कर पत्थर गढी कायम करावे साथ ही सीमाज्ञान शुल्क नियमानुसार प्रार्थीया से प्राप्त करें एवं आवश्यकता पडने पर एस.एच.ओ. थाना झांपदा से पुलिस इमदाद प्राप्त करें। इस आशय की तहसीलदार तहसील निर्झरना को तहरीर जारी करें।

निर्णय आज दिनांक 05–01–2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेन्द्र मीना, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०
उपखण्ड अधिकारी
लालसोट